राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

आदेश सं० :SHSB/GA/HR/2100/2016/.............. पटना, दिनांकः ..../12/2018

-: आदेश :-

विज्ञापन सं० 09/2018 के तहत राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैय्या कराने हेतु जनहित में सदर अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक-**Psychiatrist** के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-8 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित सदर अस्पताल में पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	पिता/पति का नाम	कोटि	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (रु०में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	18095015	DR. NISKA SINHA, MD	7-May-1983	SATISH KUMAR SINHA	UR	सदर अस्पताल, वैशाली	1,00,000/-
2.	18095016	DR. KARNIK KISHORE, MD	4-Sep-1985	KISHORI PRASAD	UR	सदर (Loknayak Jay Prakash Narayan) अस्पताल, गया	1,00,000/-
3.	18095010	DR. AHMAD IJTABA KARIM, MD	30-Jul-1987	MUZAFFAR KARIM	UR	सदर अस्पताल, कटिहार	1,00,000/-
4.	18095013	DR. RAJEEV KUMAR, MD	5-Jan-1980	KISHORI PRASAD CHAURASIA	UR	सदर अस्पताल, समस्तीपुर	1,00,000/-
5.	18095011	DR. MOHIT KUMAR SHAHI, MD	3-Jan-1989	DHARMENDRA SHAHI	UR	सदर अस्पताल, गोपालगंज	1,00,000/-
6.	18095001	DR. MD SHAHANAWAZ ZAFAR, MD	15-Jan-1976	LATE M K BARI	UR	सदर अस्पताल, मधुबनी	1,00,000/-
7.	18095019	DR. ANKITA SINGH, MD	13-Jan-1988	VIJAY KUMAR SEN	UR	सदर अस्पताल, नवादा	1,00,000/-
8.	18095020	DR. SHIVENDRA KUMAR, DNB	11-Jan-1979	SURYADEO PRASAD SINHA	UR	सदर अस्पताल, भागलपुर	1,00,000/-
9.	18095002	DR. RAJEEV RANJAN RAJ, DPM	14-Apr-1984	BIPIN BIHARI PRASAD	UR	सदर अस्पताल, बाँका	1,00,000/-
10.	18095017	DR. CHANDAN SINGH, DPM	1-Jul-1979	NAWAL PRASAD	UR	सदर अस्पताल, शेखपुरा	1,00,000/-
11.	18095003	DR. DEEPSHIKHA, DPM	7-Nov-1985	CHOUDHARY LAXMI NARAYAN	UR	सदर अस्पताल, सारण	1,00,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

   i. **दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक** उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-7 में अंकित पदस्थापन सदर (जिला) अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014
दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

ii. योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए, 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं **दिनांक 07 जनवरी, 2019 तक**, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

iv. वैसे अभ्यर्थी, जो MD/DNB/DPM डिग्रीधारी हैं किन्तु MCI/BCMR में निबंधन नहीं करा पाए हैं उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/DNB/DPM उपाधि का MCI/BCMR में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावें अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

ix. उक्त विषेशज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Psychiatrist के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-8 में अंकित एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code- 8.1.3.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, सदर (जिला) अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रकाशित UR category के चयन सूची के क्रमांक-9 पर अंकित VINAY KUMAR एवं क्रमांक-10 पर अंकित DR. SURYANKA SINGH के संबंध में वर्णित कमियों के निराकरण के पश्चात् ही इनका पदस्थापन सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जाएगा।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापांकः 6112 *पटना, दिनांकः* 10 */12/2018*

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/उपाधीक्षक, सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/वित्त प्रबंधक/ राज्य लेखा प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

10/12/18